औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
की योजना स्कीमों
का
सार संग्रह
2014

भारत सरकार
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
(आयोजना इकाई)

http://dipp.nic.in

विषयवस्तु

क्र. सं.	योजना का नाम	पृष्ठ सं.
	केंद्रीय क्षेत्र की चालू योजनाएं (सीएस)	
1.	बारहवीं योजना 2012-17 में योजना-वार परिव्यय	3
2.	दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना	5
3.	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस)	10
4.	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)	13
5.	विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज	20
6.	पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 पैकेज	23
7.	परिवहन राजसहायता योजना (टीएसएस)	26
8.	बौद्धिक संपदा कार्यालयों का आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण (एमएसआईपीओ)	29
9.	निवेश संवर्धन हेतु योजना	31
10.	राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईआईपीएम)	33
11.	व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक (बीएसपीआई) का विकास	34
12.	पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) का उन्नयन	37
13.	नमक कामगारों के लिए योजना	38
14.	स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	40
	12वीं योजना में केंद्रीय क्षेत्र की नई योजनाएं	
15.	राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) के कार्यान्वयन के लिए योजना	42
	औद्योगिक सांख्यिकी के सदृढ़ीकरण के लिए योजना उपर्युक्त का एक घटक)	45
16.	बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना	46
17.	अमृतसर - कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर (एकेआईसी) के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना	48

बारहवीं योजना 2012-17 में योजना-वार परिव्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	12वीं योजना का अनुमोदित परिव्यय
	1	2
	केन्द्रीय क्षेत्र की चालू योजना	
1	डीएमआईसी परियोजना	7500.00
	(क) ईसीसी, नई दिल्ली के अलावा डीएमआईसी	
	(ख) प्रदर्शनी सह-सम्मेलन केंद्र (ईसीसी), द्वारका, नई दिल्ली	
2.	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस)	1030.00
3.	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)	990.36
4	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए पैकेज	734.00
5	पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 पैकेज	700.00
6	परिवहन राजसहायता योजना (टीएसएस)	500.00
7	आईपी कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (एमएसआईपीओ)	200.00
8	निवेश संवर्धन के लिए योजना	100.00
9	राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईआईपीएम)	30.00
10	व्यापार सेवा मूल्य सूचकांक (बीएसपीआई) का विकास	24.00
11.	पेट्रोलियम विस्फोटक एवं सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)	20.00
12.	नमक कामगारों के लिए योजना	10.00
13	**स्वायत्त संस्थाओं के लिए परियोजना आधारित समर्थन**	
(i)	क्यूसीआई	10.00
(ii)	सीपीपीआरआई	25.00
(iii)	एनसीसीबीएम	35.00
(iv)	सीएमटीआई	200.00
(v)	एनआईडी	350.00
(vi)	एनपीसी	27.00

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	12वीं योजना का अनुमोदित परिव्यय
	1	**2**
14	राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) के कार्यान्वयन के लिए योजना	89.64
	औद्योगिक आंकड़ों के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना (उपर्युक्त का एक घटक)	1.00
15	बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) के सुदृढ़ीकरण की योजना	25.00
16	अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी) के सुदृढ़ीकरण की योजना	0.00
	कुल	**12601.00**

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना	
योजना का नाम	**दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना**
प्रकार	केंद्रीय क्षेत्र की योजना
प्रारंभ होने का वर्ष	दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना की परियोजना रूप-रेखा को अगस्त, 2007 में 'सैद्धांतिक' अनुमोदन ।
कवरेज (व्याप्ति)	डीएमआईसी छः राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में फैला है।
उद्देश्य	यह परियोजना स्थानीय वाणिज्य को सक्रिय करने, निवेशों को बढ़ाने और सतत विकास हासिल करने के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धी वातावरण तथा अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त मजबूत आर्थिक आधार का निर्माण करने के लिए है।
मुख्य विशेषताएं	• डीएमआईसी परियोजना को दादरी (उ.प्र.) और जेएनपीटी (नवी मुंबई) के बीच 1483 किमी. लंबे वेस्टर्न डेडीकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के दोनों ओर कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। • डीएमआईसी में अधिकांश परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई है। • विभिन्न परियोजनाओं के परियोजना विकास, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जनवरी, 2008 में डीएमआईसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (डीएमआईसीडीसी) को निगमित किया गया था। • शुरूआत में निम्नलिखित आठ निवेश क्षेत्रों/औद्योगिक क्षेत्रों को डीएमआईसी के पहले चरण में विकास के लिए चुना गया है: (i) गुजरात में अहमदाबाद-धोलेरा निवेश क्षेत्र; (ii) महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट शेंद्रा-

	बिडकिन औद्योगिक पार्क सिटी; (iii) हरियाणा में मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र; (iv) राजस्थान में खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा निवेश क्षेत्र; (v) मध्य प्रदेश में पीतमपुर-धार-मऊ निवेश क्षेत्र; (vi) उत्तर प्रदेश में दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र; (vii) महाराष्ट्र में दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र; और (viii) जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र को छोड़कर सभी नोडों के लिए मास्टर प्लान पूरे हो चुके हैं तथा राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं।
कार्यान्वयन एजेंसी और निधीयन का स्वरूप	• दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। डीएमआईसीडीसी का गठन एक कंपनी के रूप में किया गया है, जिसमें 49% इक्विटी डीआईपीपी के जरिए भारत सरकार की, 26% इक्विटी जापान की और शेष सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं जैसे हुडको, आईआईएफसीएल और एलआईसी के पास है। • मुख्य अवसंरचना हेतु पांच वर्ष की अवधि के दौरान इस्तेमाल करने के लिए 17,500 करोड़ रु. की कार्यान्वयन निधि तथा परियोजना विकास शुरू करने के लिए 1000 करोड़ रु. की परियोजना विकास निधि के साथ वर्ष 2011 में डीएमआईसी परियोजना का पुनर्गठन किया गया था।

	• न्यास के रूप में परिक्रामी निधि की स्थापना की गई है तथा डीएमआईसी शहरों के विकास में सहायता के लिए वित्तीय संस्थाओं आदि से दीर्घावधि निधीयन जुटाने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का लाभ उठाया जाएगा। • विश्व स्तरीय औद्योगिक शहरों का विकास केंद्र सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व निधि/न्यास (50% तक सीमित) द्वारा होगा तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप स्थापित विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजना और विकास की शक्तियां एसपीवी को प्रत्यायोजित की जाएंगी तथा संविधान के अनुच्छेद 243थ के तहत राज्य सरकार नगर निगम संबंधी कार्य करने के लिए शहर को अधिकृत कर सकती है। • न्यास रणनीति परियोजनाओं, डीएमआईसी राज्यों में आने वाले परियोजना विनिर्दिष्ट विशेष प्रयोजन माध्यमों तथा अन्य परियोजना विनिर्दिष्ट विशेष प्रयोजन माध्यमों वाली क्षेत्रगत धारक कंपनियों में 100% तक हिस्सा रख सकता है। • लगभग 60-65% अवसंरचनागत परियोजनाएं पीपीपी आधार पर कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है तथा शेष मुख्य अवसंरचना से संबंधित है, जिनके लिए राज्यों को भारत सरकार की सहायता अनिवार्य होगी। इन नोड/शहर एसपीवी में भारत सरकार द्वारा इक्विटी पण से भारत सरकार राज्यों के साथ प्रभावी रूप से भागीदारी करने तथा निधि, सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और कार्यक्रम प्रबंधन के रूप में महत्वपूर्ण सहायता

	का विस्तार करने में सक्षम होगी। इस संरचना से भारत सरकार शहरीकरण और विनिर्माण के लिए सरकार के न्यूनतम अंशदान के साथ वाणिज्यिक मॉडल बनाने में भी सक्षम होगी।
निधि जारी करने के लिए तंत्र	• मुख्य अवसंरचना के विकास के लिए नोडल शहरों के एसपीवी को इक्विटी अथवा ऋण के रूप में न्यास के जरिए निधि जारी की जाएगी। • तथापि, परियोजना विकास शुरू करने के लिए डीएमआईसी न्यास से डीएमआईसीडीसी को जारी की गई निधि अनुदान के रूप में होगी। • इसके अलावा, न्यास परियोजना विनिर्दिष्ट एसपीवी तथा राज्यों में फैली क्षेत्रगत धारक कंपनियों के संबंध में निवेश संबंधी निर्णय भी लेगा। • न्यास द्वारा किए गए निवेशों के लाभ भविष्य में न्यास को वापस प्राप्त होंगे, ताकि न्यास ऐसे और औद्योगिक शहरों के निर्माण में निवेश करने में सक्षम हो सके।
निगरानी और समीक्षा	• सात केंद्रीय मंत्रियों, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में छः राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा आमंत्रित के रूप में चार और केंद्रीय मंत्रियों सहित माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष निगरानी प्राधिकरण डीएमआईसी परियोजना की निगरानी करता है। • प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया जो डीएमआईसी परियोजना की प्रगति की निगरानी करता है। पीएमओ में स्थापित सुपुर्दगी निगरानी इकाई (डीएमयू) भी डीएमआईसी परियोजना की निगरानी और समीक्षा कर रही है।
क्या कोई दिशा-निर्देश बनाए गए हैं	-------

संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना	
योजना का नाम	**संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना**
प्रकार	केंद्रीय क्षेत्र की योजना
प्रारंभ होने का वर्ष	वर्ष 2003 में औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के रूप में शुरू की गई, 2009 में पुन:निर्मित की गई तथा अब वर्ष 2013 में संशोधित आईआईयूएस ।
कवरेज (व्याप्ति)	सभी राज्य इस योजना के तहत आते हैं
उद्देश्य	औद्योगिक वृद्धि, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी उन्नयन को उत्प्रेरित करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना उपलब्ध कराकर उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
मुख्य विशेषताएं	• औद्योगिक संपदाओं/पार्कों/क्षेत्रों में अवसंरचना के उन्नयन के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देना । • पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पिछड़े क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को सहायता देना। • ग्रीनफील्ड क्लस्टर की तुलना में मौजूदा क्लस्टरों में अवसंरचना के उन्नयन को प्राथमिकता देना । • मांग प्रेरित योजना । • निम्नलिखित की विकास के लिए सहायता प्रदान की गई: (i) **तकनीकी अवसंरचना:** सामान्य सुविधा केंद्र; उत्पाद विकास और तकनीकी प्रदर्शन सुविधा; पर्यावरण संरक्षण अवसंरचना; प्रशिक्षण अवसंरचना; गुणवत्ता प्रमाणपत्र और बैंच मार्किंग। (ii) **सामाजिक अवसंरचना**, जैसे काम-काजी महिलाओं के लिए डोर्मिटरी/हॉस्टल । (iii) **भौतिक अवसंरचना:** ठोस अवशिष्ट प्रबंधन

	निपटान/शोधन; जलापूर्ति; सड़कें; आंतरिक विद्युत संयंत्र (विद्युत नियमावली 2005 के प्रावधानों के अनुसार तथा सीपीपी के लिए ईंधन पूरी तरह बंधा होना चाहिए)। (iv) परियोजनाएं, भूमि की लागत, अन्य क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं के तहत आने वाली मदों तथा विस्फोटक उद्योग से संबंधित मदों पर विचार नहीं किया जाएगा। (v) राज्यों की भूमिका एसआईए को नामित करने तथा परियोजना लागत को बांटने की है।
कौन आवेदन कर सकता है?	एसआईडीसी जैसी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां (एसआईए) संशोधित आईआईयूएस के तहत निधीयन के लिए आवेदन कर सकती हैं।
कार्यान्वयन एजेंसी	एसआईए अथवा कोई अन्य समान राज्य इकाई, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा चिह्नित तथा संस्तुत किया गया हो।
निधीयन का स्वरूप	• प्रत्येक परियोजना में राज्य सरकार द्वारा 50% तक अंशदान जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ रु. होगी। • एसआईए का न्यूनतम अंशदान परियोजना लागत का 25% होगा; शेष अंशदान भी एसआईए अथवा लाभार्थी उद्योगों द्वारा किया जा सकता है अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण के जरिए किया जा सकता है । • पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में केंद्रीय अनुदान और एसआईए का न्यूनतम अंशदान क्रमश: 80% और 10% होगा।
निधि जारी करने के लिए तंत्र	भारत सरकार क्रमश: 30%, 40% और 30% की किस्तों में अपना अनुदान जारी करेगी, जो योजना में निर्धारित शर्तों के पूरा होने तथा अन्य हितधारकों द्वारा अंशदान करने के अध्यधीन होगा।

निगरानी एवं समीक्षा	• एसआईए का शासी मंडल तिमाही में कम से कम एक बार परियोजना की प्रगति की निगरानी करेगा तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) भेजेगा। • औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भी क्षेत्र दौरे करने के लिए तथा वेब समर्थित सूचना तंत्र बनाने के लिए आउटसोर्सिंग और/अथवा परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए) को नियुक्त करके निगरानी करेगा।
क्या कोई दिशा-निर्देश बनाए गए हैं	योजना के दिशा-निर्देश http://dipp.nic.in/Engligh/IIUS/IIUS_modified http://dipp.nic.in/Hindi/ IIUS/IIUS_modified पर उपलब्ध हैं।

भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम	
योजना का नाम	**भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम**
प्रकार	केंद्रीय क्षेत्र की योजना
कवरेज (व्याप्ति)	बड़ी संख्या में चमड़ा इकाइयों वाले सभी राज्यों के साथ ही चमड़ा क्षेत्र की वृद्धि की संभावना वाले राज्य भी इस योजना के तहत आते हैं।
उद्देश्य	कच्चे माल के आधार को बढ़ाना, चमड़ा इकाइयों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन, पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना, मानव संसाधन विकास, परंपरागत चमड़ा कारीगरों को सहायता उपलब्ध कराना, अवसंरचना संबंधी बाधाओं को दूर करना और संस्थागत सुविधाएं स्थापित करना।
मुख्य विशेषताएं	इस योजना की छ: उप-योजनाएं हैं जिनके तहत निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता दी जाती हैं: i) चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस) उप-योजना के तहत चमड़ा इकाइयों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी-उन्नयन। ii) फुटवेयर प्रौद्योगिकीविदों, डिजाइनरों, पर्यवेक्षकों और मैकेनिकों के संबंध में चमड़ा उद्योग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संस्थागत सुविधाओं की स्थापना नामक उप-योजना के तहत फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई) परिसर की स्थापना । iii) मेगा लेदर क्लस्टर उप-योजना के तहत मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना। iv) मानव संसाधन विकास उप-योजना के जरिए बेरोजगार व्यक्तियों का कौशल विकास, रोजगाररत व्यक्तियों का कौशल उन्नयन और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण। v) क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण संबंधी उप-योजना को अपनाकर कारीगरों को सहायता प्रदान

	करना। vi) चमड़ा प्रौद्योगिकी, नवप्रयोग और पर्यावरण मामलों संबंधी उप-योजना के तहत निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण उत्सर्जन मानदण्डों को पूरा करने और पर्यावरणीय मामलों के लिए सहायता प्रदान करना। यह सहायता परियोजनाओं की निम्नलिखित चार श्रेणियों के लिए दी जाएगी: (क) चमड़ा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी बैंचमार्किंग और पर्यावरण प्रबंधन। (ख) सामान्य बहि:स्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी)। (ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। (घ) पर्यावरण संबंधी कार्यशालाएं ।
कार्यान्वयन एजेंसी	• **चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस) उप-योजना:** केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई) चेन्नई, और फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई) नोएडा परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) होंगे। • **संस्थागत सुविधाओं की स्थापना संबंधी उप-योजना:** फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई) । • **मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना:** प्रत्येक क्लस्टर का कार्यान्वयन एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा किया जाएगा, जिसकी संरचना को इस विभाग की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। • **एचआरडी उप-योजना:** परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी कार्यान्वयन एजेंसी को उप-योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार चिह्नित किया जाएगा। • **कारीगरों को सहायता उप-योजना:** इस विभाग द्वारा दिशा-निर्देशों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान की

	जाएगी। • **चमड़ा प्रौद्योगिकी, नवप्रयोग और पर्यावरण मामलों संबंधी उप-योजना:** प्रौद्योगिकी, नवप्रयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय मामलों के संबंध में सीएलआरआई तथा एफडीडीआई और सामान्य बहि:स्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) के संबंध में नामोद्दिष्ट विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी)।
निधीयन का स्वरूप	**चमड़ा क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत निधीयन का स्वरूप निम्नानुसार है:** • **चमड़ा क्षेत्र के एकीकृत विकास संबंधी उप-योजना:** इस योजना के तहत प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण और/अथवा विस्तार तथा नई इकाई की स्थापना के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के 30% तक एवं अन्य इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के 20% तक निवेश अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रत्येक उत्पाद श्रृंखला के लिए 2 करोड़ रु. होगी। अपने स्वयं के संसाधनों का निवेश करने वाली इकाइयों को भी निवेश अनुदान उपलब्ध होगा। • **संस्थागत सुविधाओं की स्थापना संबंधी उप-योजना:** एफडीडीआई की नई शाखाओं की स्थापना के लिए एकमुश्त अनुदान सहायता के रूप में सहायता दी जाएगी। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग भूमि की लागत को छोड़कर अवसंरचना की स्थापना की लागत प्रदान करेगा। विभाग द्वारा कोई आवर्ती लागत नहीं दी जाएगी। • **मेगा लेदर क्लस्टर उप-योजना:** इस उप-योजना के अंतर्गत कम से कम 25 एकड़

	(चर्मशोधन इकाइयों के बिना) और 40 एकड़ (चर्मशोधन इकाइयों सहित) वाले एमएलसी के कुल भूमि क्षेत्र के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। अधिकतम 125 करोड़ का अनुदान दिया जा सकता है। • **मानव संसाधन विकास उप-योजना:** **प्राथमिक (कौशल विकास) क्षेत्र** के मामले में भारत सरकार की सहायता अधिकतम 15,000 रु. प्रति प्रशिक्षु की दर से होगी **जो उन व्यक्तियों के लिए होगी जिन्हें इस क्षेत्र में अभी तक रोजगार नहीं मिला है; इस उद्योग में मौजूदा कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल में द्वितीय (कौशल विकास) क्षेत्र** के संबंध में भारत सरकार की सहायता 50,000 रु. प्रति प्रशिक्षु; और **प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण** के क्षेत्र में प्रति प्रशिक्षक 2 लाख रुपए होगी। सहायता प्राप्त करने के लिए 75% प्रशिक्षित व्यक्तियों (प्राथमिक कौशल विकास के तहत) का रोजगार प्राप्त करना अनिवार्य है। • **कारीगरों को सहायता संबंधी उप-योजना:** विभिन्न चमड़ा क्लस्टरों में परियोजनाएं शुरू करने के इच्छुक कारीगरों के उत्थान के लिए पहले से कार्य कर रहे पंजीकृत एनजीओ/संघों अथवा संस्थाओं को सहायता-अनुदान के रूप में सहायता दी जाएगी। • **चमड़ा प्रौद्योगिकी, नवप्रयोग और पर्यावरणीय मामलों संबंधी उप-योजना:** पर्यावरण संबंधी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिए एकमुश्त सहायता-अनुदान के रूप में भारत सरकार की सहायता दी जाएगी। संघटक-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है: **(क) चमड़ा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी बैंचमार्किंग और पर्यावरण प्रबंधन:** इस संघटक के तहत भारत सरकार की सहायता

	परियोजना लागत का 50% होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए प्रति इकाई होगी। शेष 50% इकाइयों द्वारा वहन किया जाएगा। **(ख) सामान्य बहि:स्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी):** सरकारी सहायता कुल परियोजना लागत का 50% होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ रु. होगी, शेष 15% और 35% क्रमश: राज्य सरकार तथा उद्योग के लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाएगा। **(ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** 100% सहायता, जो अधिकतम 1 करोड़ रु. की सीमा के अध्यधीन होगी। **(घ) पर्यावरण संबंधी कार्यशालाएं:** सहायता अधिकतम 10 लाख रु. प्रति कार्यशाला की दर से दी जाएगी।
निधि जारी करने के लिए तंत्र	**चमड़ा क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत निधि जारी करने हेतु तंत्र निम्नानुसार है:** • **चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास:** योजना में निर्धारित शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन वित्तीय सहायता जारी की जाएगी। • **संस्थागत सुविधाओं की स्थापना संबंधी उप-योजना:** निधि तीन किस्तों में जारी की जाएगी, भूमि का कब्जा मिलने और परियोजना को अनुमोदन मिलने पर 30%, पिछली किस्त का उपयोग करने पर 40% तथा पिछली किस्त का उपयोग करने और परियोजना में संतोषजनक प्रगति करने के बाद 30% निधि जारी की जाएगी। • **मेगा लेदर क्लस्टर योजना:** निधि जारी करने को प्रस्ताव के अनुमोदन के समय पहचानी गई उपलब्धियों/लक्ष्यों से जोड़ा जाएगा। निधि चार चरणों में जारी की जाएगी अर्थात 25%, 30%, 30% और 15% जो दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के

	अध्यधीन होगी। • **मानव संसाधन विकास उप-योजना:** केंद्र सरकार की सहायता दो किस्तों में जारी की जाएगी। 25% की पहली किस्त परियोजना शुरू करने में होने वाले प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी। 75% की अगली किस्त परियोजना के संतोषजनक तरीके से पूरा होने के बाद प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की जाएगी। • **कारीगरों को सहायता संबंधी उप-योजना:** इस योजना के तहत तीन किस्तों में निधि जारी की जाएगी, अर्थात परियोजना के अनुमोदन पर परियोजना लागत का 40%, पिछली जारी किस्त का उपयोग करने पर परियोजना लागत का 30% और पिछली किस्त का उपयोग करने और परियोजना की संतोषजनक प्रगति के बाद 30% निधि जारी की जाएगी। • **चमड़ा प्रौद्योगिकी, नवप्रयोग और पर्यावरणीय मामलों संबंधी उप-योजना:** निधि निम्नानुसार जारी की जाएगी जो उप-योजना में दी गई शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन होगी: **(क) चमड़ा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी बैंचमार्किंग और पर्यावरण प्रबंधन:** सरकार की निधि 50-50% की दो किस्तों में जारी की जाएगी, पहली किस्त परियोजना के अनुमोदन के बाद तथा दूसरी किस्त पिछली किस्त का उपयोग करने के बाद जारी की जाएगी। **(ख) सामान्य बहि:स्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी):** सरकार की निधि 25-25% की चार किस्तों में जारी की जाएगी, पहली अग्रिम के रूप में तथा बाकी पिछली किस्तों का उपयोग करने पर जारी की जाएगी। **(ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:**

	सरकार की निधि परियोजना को अनुमोदन मिलने के बाद 60% और पिछली किस्त का उपयोग करने के बाद 40% की दो किस्तों में जारी की जाएगी। **(घ) पर्यावरण संबंधी कार्यशालाएं:** सरकार की निधि 50-50% की दो किस्तों में जारी की जाएगी, पहली किस्त परियोजना के अनुमोदन के बाद तथा दूसरी किस्त पिछली किस्त का उपयोग करने के बाद जारी की जाएगी।
निगरानी और समीक्षा	• इस विभाग द्वारा उप-योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार नामित राष्ट्रीय निगरानी इकाइयां/परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता इस उप-योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही परियोजना की निगरानी और समीक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे। • यह विभाग भी अधिकार प्राप्त समिति/संचालन समिति के जरिए योजना के तहत परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक निगरानी और समीक्षा करेगा।
क्या कोई दिशा-निर्देश बनाए गए हैं	आईएलडीपी योजनाओं के दिशा-निर्देश http://dipp.nic.in/Engligh/Schemes/Dept_Leather.aspx पर उपलब्ध हैं।

विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज	
योजना का नाम	**विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज**
प्रकार	केंद्रीय क्षेत्रगत योजना (2013-14 तक केंद्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना के तौर पर शुरू की गई)
प्रारंभ होने का वर्ष	इसकी घोषणा दिनांक 14.06.2002 को जम्मू एवं कश्मीर के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। इस पैकेज का 15.6.2012 से 14.6.2017 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए विस्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश और उततराखंड के लिए पैकेज की घोषणा 10 वर्ष के लिए दिनांक 07.01.2003 को की गई थी। इस पैकेज को 07.01.2013 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।
कवरेज (व्याप्ति)	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड विशेष श्रेणी के राज्य
उद्देश्य	इन राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को उनके क्रियाकलापों के पर्याप्त विस्तार पर इन्हें प्रोत्साहन प्रदान करना।
मुख्य विशेषताएं	**जम्मू और कश्मीर के लिए प्रोत्साहन पैकेज:-** इस योजना में निम्नलिखित प्रोत्साहन शामिल हैं:- • **केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना:-** सभी नई औद्योगिक इकाइयों तथा मौजूदा इकाइयों को उनके पर्याप्त विस्तार पर संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश के 15% की दर से पूंजी निवेश राजसहायता के लिए पात्र होगें जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रू. होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश के 30% की दर से पूंजी निवेश राजसहायता के लिए पात्र होंगे जो विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र दोनों

	के लिए अधिकतम क्रमश: 3.00 करोड़ रू. तथा 1.50 करोड़ रू. तक होगी। • **केंद्रीय ब्याज राजसहायता योजना:** सभी नई औद्योगिक इकाइयों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए औसतन दैनिक कार्यशील पूंजी ऋण पर 3% की ब्याज राजसहायता उपलब्ध होगी। • **केंद्रीय ब्यापक बीमा राजसहायता योजना:-** इस विस्तारित पैकेज के दौरान 100% की सीमा तक बीमा राजसहायता वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन के शुरू करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए सभी नई इकाइयों तथा पर्याप्त विस्तार पर मौजूदा इकाइयों के लिए स्वीकार्य होगी। • **हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए प्रोत्साहन पैकेज:-** इस योजना में निम्नलिखित प्रोत्साहन शामिल हैं:- • **केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना:-** औद्योगिक इकाइयां और मौजूदा इकाईयां पर्याप्त विस्तार पर संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश के 15% की दर से पूंजी निवेश राजसहायता के लिए पात्र होगीं, जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रू. होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश के 15% की दर से पूंजी निवेश राजसहायता के लिए पात्र होंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रू. होगी।

कौन आवेदन कर सकता है	यह योजना जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों में पात्र औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू होगी।
नोडल एजेंसी	• जम्मू और कश्मीर राज्य में औद्योगिक इकाइयों के लिए जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम (जेकेडीएफसी) • हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए क्रमश: हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखंड लिमिटेड (एसआईडीसीयूएल)।
निधीयन का स्वरूप	केंद्र सरकार द्वारा 100% निधीयन।
निधि जारी करने के लिए तंत्र	• इस योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र औद्योगिक इकाइयों को संबंधित जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) में पंजीकरण कराना होगा। • बैंक द्वारा वित्त पोषित इकाइयों के मामले में योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना के लिए संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य को प्रमाणित करेगा। • स्व-पोषित इकाईयों के मामले में इस परियोजना का मूल्यांकन नोडल एजेंसी के द्वारा अथवा इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। • इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन के शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपने दावे दायर करने चाहिए। • अनुदान अथवा राजसहायता के किसी भाग अथवा समस्त राजसहायता को प्राप्त करने

	वाली किसी भी औद्योगिक इकाई के स्वामी को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग,राज्य सरकार तथा संबंधित नोडल एजेंसी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना वाणिज्यिक उत्पादन/ प्रचालन शुरू करने के बाद पांच वर्ष की अवधि के भीतर औद्योगिक इकाई को पूरी तरह से अथवा इसके किसी भाग का स्थान परिवर्तित करने अथवा बड़ा निर्माण करने अथवा इसके कुल निर्धारित पूंजी निवेश के बड़े भाग को अथवा इसके भाग का निपटान करने की अनुमति नहीं होगी।
निगरानी एवं समीक्षा	अनुदान अथवा राजसहायता प्राप्त करने के बाद प्रत्येक औद्योगिक इकाई को अपना वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू के करने के बाद पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने कार्य संचालन के बारे में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को संबंधित राज्य सरकार को भेजना होगा, जिसकी एक प्रति संबंधित नोडल एजेंसी को भेजी जाएगी।
क्या कोई दिशा निर्देश बनाए गए हैं	अधिसूचनाएं एवं दिशा-निर्देश औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वेबसाईट http://dipp.nic.in.English/Schemes/Category-states.aspx पर उपलब्ध है।

पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007	
योजना का नाम	पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007
प्रकार	केंद्रीय क्षेत्र की योजना (वर्ष 2013-14) तक केंद्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना के तौर पर प्रचालित)
प्रारंभ होने का वर्ष	01.04.2007
कवरेज (व्याप्ति)	पूर्वोत्तर सात राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा) के अलावा सिक्किम को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है।
उद्देश्य	इस योजना का उद्देश्य पात्र औद्योगिक इकाइयों को उनके निवेश पर राजसहायता प्रदान करके, कार्यशील पूंजी ऋण तथा प्रदत्त बीमा प्रीमियम पर ब्याज पर राजसहायता प्रदान करने के पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोड़ शो, सेमिनार आदि जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना में 'अदर स्कीम्ज फोर एनईआर' के नाम से एक योजना भी सम्मिलित है।
मुख्य विशेषताएं	• एनईआर में निर्मित तैयार माल पर उत्पाद शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। तथापि राजस्व विभाग के दिनांक 27.3.2008 तथा 10.6.2008 की अधिसूचनाओं के तहत उत्पाद शुल्क में समान छूट के लाभ को केवल किए गए मूल्य संवर्धन की सीमा तक सीमित किया गया है। • आय कर में 100 प्रतिशत छूट • संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य पर किसी अधिकतम सीमा के बिना 30% की दर से पूंजी निवेश राजसहायता के लिए स्वत:

	अनुमोदन की सीमा 1.50 करोड़ रू. है। 1.50 करोड़ रू. से अधिक परंतु अधिकतम 30 करोड़ रू. तक की राजसहायता एक अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन से प्रदान की जाएगी तथा 30 करोड़ रू. से अधिक की राजसहायता प्रदान करने के प्रस्तावों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन की अपेक्षा होगी। यह निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रों की इकाइयों के साथ-साथ एनईआर की राज्य सरकार के द्वारा स्थापित की गई इकाइयों के लिए यह राजसहायता उपलब्ध होगी। • कार्यशील पूंजी ऋण पर 3% की दर से ब्याज राजसहायता। • इकाई के द्वारा प्रदत्त बीमा प्रीमियम की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति के लिए उपलब्ध कराया जा रहा व्यापक बीमा।
	इस नीति के तहत लाभ नई इकाइयों के साथ-साथ मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के लिए उनके पर्याप्त विस्तार पर वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होंगे।
कौन आवेदन कर सकता है	'विनिर्माण क्षेत्र' के अलावा, एनईआईआई पीपी, 2007 के तहत ये लाभ पहली बार 'सेवा क्षेत्र' (दो सितारा श्रेणी से ऊपर के होटलों, नर्सिंग होम-जिनके कम से कम 25 बेड की क्षमता है, वृद्धाश्रम साहसिक एवं फुर्सत के समय के खेल में, होटल प्रबंध, खान-पान तथा खाद्य शिल्प, उद्यमिता विकास, नर्सिंग तथा पैरा चिकित्सा नागरिक उड्डयन संबंधी प्रशिक्षण, फैशन, डिजाइन तथा औद्योगिक प्रशिक्षण, 'जैव प्रौद्योगिकी उद्योग' तथा 10 मेगा वाट तक 'विद्युत सृजन करने वाले उद्योगों' को भी प्रदान की गई है।
नोडल एजेंसी	नार्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन

	(एनईडीएफआई), गुवाहाटी को विभिन्न राजसहायता संवितरित करने वाली एक नोडल एजेंसी के तौर पर नामित किया गया है।
निधि जारी करने के लिए तंत्र	एसएलसी/ईसी/मंत्रिमंडल के अनुमोदन के आधार पर विभाग निधि जारी करने की प्रक्रिया शुरू करता है। सरकार निधि संवितरित करने वाली नोडल एजेंसियों को निधि जारी करती है, जिसे आगे लाभार्थी इकाइयों को संवितरित किया जाता है।
निगरानी एवं समीक्षा	पात्र औद्योगिक इकाइयों को राजसहायता का समय पर संवितरण करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए (i) केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति तथा (ii) एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति/सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
क्या कोई दिशा निर्देश बनाए गए हैं	http://dipp.nic.in/English/Schemes/fss/operational /Guidelines Fss 2013.pdf http://dipp.nic.in/English/Schemes/ner.aspx

परिवहन राजसहायता योजना (टीएसएस), 1971/मालभाड़ा राजसहायता योजना (एफएसएस), 2013	
योजना का नाम	परिवहन राजसहायता योजना (टीएसएस), 1971/मालभाड़ा राजसहायता योजना (एफएसएस), 2013
प्रकार	केंद्रीय क्षेत्र की योजना
प्रारंभ होने का वर्ष	27.7.1971 टीएसएस, 1971 को एफएसएस 22.01.2013 के तौर पर संशोधित किया गया है।
कवरेज (व्याप्ति)	(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्य (ii) हिमाचल प्रदेश (iii) उत्तराखंड (iv) जम्मू और कश्मीर (v) पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला (vi) अंडमान और निकोबार प्रशासन (vii) लक्षद्वीप प्रशासन
उद्देश्य	पहाड़ी, सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना।
मुख्य विशेषताएं	(i) केंद्रीय बजट 2009-10 से अपनाई गई विनिर्माण क्रियाकलाप की परिभाषा; (ii) अस्वीकृत फ्लाईएश के परिवहन पर राजसहायता (iii) सावधि विधिखंड शुरू किया गया है, ताकि इसकी अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष के बाद यह योजना समाप्त हो जाए। (iv) एमएसएमई के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि हेतु राजसहायता का प्रावधान (v) बागान, रिफाइनरी, विद्युत सृजन इकाइयां, कोक (कैलसाइन्ड पेट्रोलियम कोक सहित) उद्योग तथा वे इकाइयां जो तंबाकू उत्पादन करती है और तंबाकू विकल्पों, पान मसाला तथा 20 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक की थैलियों का विनिर्माण करती है, वे निषेध सूची में शामिल हैं।
कौन आवेदन कर सकता है	यह योजना सभी आठ राज्यों, जैसा कि ऊपर बताया गया है, में सभी औद्योगिक इकाइयों (बागान,

	रिफाइनरी तथा सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में उनके आकार के आधार पर विद्युत सृजन इकाइयां) पर लागू है। संशोधित मालभाड़ा राजसहायता योजना (एफएसएस), 2013 में इस निषेध सूची में 22.1.2013 से संशोधन किया गया है।
निधीयन का स्वरूप	• सरकार निधि वितरित करने वाली नोडल एजेंसियों को निधि जारी करती है, जिसे आगे पात्र औद्योगिक इकाइयों को वितरित जाता है। • यह राजसहायता वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पांच वर्ष की अवधि के लिए कच्ची सामग्री तथा तैयार माल को निर्धारित रेल शीर्षों/पत्तनों से औद्योगिक इकाई(यों) के स्थान तक तथा वहां से लाने-ले जाने पर हुई परिवहन लागत पर 50% से 90% के बीच पात्र औद्योगिक इकाइयों को दी जाती है।
नोडल एजेंसी	इन राज्यों में पात्र इकाइयों को राजसहायता का वितरण निम्न नोडल एजेंसियों के जरिए किया जाता है। (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नार्थ ईस्टर्न डेवलेपमेंट फाइनांशियल कार्पोरेशन लि. (एनईडीएफसीआई), गुवाहाटी; (ii) जम्मू और कश्मीर के लिए जम्मू एंड कश्मीर डेवलेपमेंट फाइनांस कार्पोरेशन (जेकेडीएफसी); (iii) हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) (iv) उत्तराखंड के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखंड लि. (एसआईडीसीयूएल) (v) केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संबंधित केंद्र शासित प्रशासन

निधि जारी करने के लिए तंत्र	राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के कार्यवृत्त/पूर्व हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर, विभाग निधि जारी करने की प्रक्रिया शुरू करता है। निधि जारी करने से पहले नार्थ इस्टर्न डेवलेपमेंट फाइनांशियल कार्पोरेशन लि. (एनईडीएफआई) के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में 10% दावा दस्तावेज भी पूर्व जांच की शर्त के अधीन है।
निगरानी एवं समीक्षा	• हितधारकों की बैठक का आयोजन तिमाही आधार पर किया जा रहा है। • एनआईसी के परामर्श से एक ऑन लाइन निगरानी प्रणाली भी विकसित की जा रही है।
क्या कोई दिशा निर्देश बनाए गए हैं	http://dipp.nic.in/English/Schemes/fss/operational/Guidelines Fss 2013.pdf http://dipp.nic.in/English/Schemes/ner.aspx

बौद्धिक संपदा कार्यालयों का आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण (एमएसआईपीओ)	
योजना का नाम	**बौद्धिक संपदा कार्यालयों का आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण (एमएसआईपीओ)**
प्रकार	केंद्रीय क्षेत्र की योजना
प्रारंभ होने का वर्ष	मार्च, 2008
उद्देश्य	भारत में बौद्धिक संपदा कार्यालयों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना; देश में एक जीवंत बौद्धिक संपदा व्यवस्था विकसित करना; तथा भारतीय पैटेंट कार्यालयों के लिए अंतराष्ट्रीय अनुसंधान प्राधिकरण तथा अंतराष्ट्रीय प्राथमिक जांच प्राधिकरण के तौर पर कार्य करने के लिए आधुनिक अवसंरचना विकसित करना, ताकि व्यापार चिह्नों के अंतराष्ट्रीय पंजीकरण की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।
मुख्य विशेषताएं	• नए पदों का सृजन करके तथा मौजूदा पदों का उन्नयन करके मानव संसाधनों में वृद्धि करना; • पेटेंट कार्पोरेशन ट्रीटी न्यूनतम दस्तावेजीकरण के लिए अपेक्षित गैर-पेटेंट साहित्य के लिए योगदान करना; • रिकार्डों का डिजिटलीकरण, • इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी की स्थापना करना; • आईएसए/आईपीईए तथा मैड्रिड प्रोटोकाल के लिए अपेक्षित सॉफ्टवेयर को विकसित करना; • कोलकाता और मुंबई में वास्तविक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करना; • भारतीय पेटेंट कार्यालय का आईसीटी उन्नयन; • भारतीय पेटेंट कार्यालय तथा व्यापार चिह्न पंजीकरण का पुनर्गठन/पुनर्संयोजन; • जागरूकता और सुग्राहीकरण का सृजन
कार्यान्वयन एजेंसी	पेटेंट, डिजाइन तथा व्यापार चिह्न महानियंत्रक

	(सीजीपीडीटीएम) का कार्यालय
निधीयन का स्वरूप	भारत सरकार के द्वारा शत-प्रतिशत निधीयन
निगरानी एवं समीक्षा	इस योजना के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया है।
क्या कोई दिशा निर्देश बनाए गए हैं	जी नहीं

निवेश संवर्धन योजना	
योजना का नाम	निवेश संवर्धन योजना
प्रकार	केंद्रीय क्षेत्र की योजना
प्रारंभ होने का वर्ष	इस योजना में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के द्वारा कार्यान्वित दो योजना स्कीमों नामत: 1997-98 से "अंडरटेकिंग इनवेस्टमेंट प्रोमोशन एक्टीविटिज" तथा 2001-02 से "इंटरनेशलन कार्पोरेशन एंड ज्वांइट वेंचर्स एशिया एंटरप्रासेज इन इंडिया" को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम "स्कीम फोर इंवेस्टमेंट प्रोमोशन" में 11वीं योजना के दौरान विलय कर दिया गया। वित्त वर्ष 2007-08 में अस्तित्व में आई इस आमेलित योजना को "इंटरनेशलन कार्पोरेशन एंड ज्वाइंट वेंचर्स-एशिया एंटरप्रोसेज एंड इनेवस्टमेंट प्रोमोशन एक्टिविटिज" का नाम दिया गया। बाद में इस योजना के घटकों में सुधार किया तथा इस योजना का नया नाम सितंबर 2008 में "स्कीम फॉर इंवेस्टमेंट प्रोमोशन" रखा गया।
कवरेज (व्याप्ति)	इस योजना में निम्न घटक है: 1. संयुक्त आयोग की बैठकों का आयोजन; 2. कारोबार एवं निवेश संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन; 3. परियोजना प्रबंधन, क्षमता निर्माण, निगरानी एवं मूल्यांकन; 4. जी2बी पोर्टल/ईबिज प्रायोगिक परियोजना की स्थापना; 5. योजना घटकों के संबंध में विदेश यात्रा; 6. निवेश संवर्धन के लिए देश अभिकेंद्रित डैस्कों की स्थापना 7. मल्टी मीडिया आडियो वीडियो प्रचार 8. एक समर्पित निवेश संवर्धन एजेंसी का सृजन

मुख्य विशेषताएं	भारत को प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) के लिए एक आकर्षक और विश्वसनीय स्थान के तौर पर प्रोन्नत करने के लिए विभाग ने जी2बी, तथा बी2बी स्तर पर विभिन्न कार्य किए हैं। इसके अलावा, विभाग को संयुक्त आयोग की ऐसी बैठकों का आयोजन करने का भी अधिदेश है जिसमें विविध परामर्श तथा आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में सरकारों के बीच सहयोग सम्मिलित हों। इनके कार्यों में प्राय: भारत में तथा विदेश में कार्यक्रमों का आयोजन/सहयोग देश शामिल है जैसे : • विभिन्न देशों में कारोबार एवं निवेश संवर्धन कार्यक्रम (नेटवर्किंग सेशन रोड शो, प्रदर्शनी सहित) • भारत में औद्योगिक चैम्बर के द्वारा आयोजित निवेश संवर्धन कार्यक्रम/क्षेत्र विशिष्ट कारोबार/निवेश बैठकें। • निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल सहित प्रतिनिधिमंडलों का प्रायोजन। • अन्य देशों के साथ सीईओ मंच/परिषद/बिजनेस लोडर्स फोरम का संयोजन तथा इनके सृजन से उत्पन्न हुए मुद्दों का समर्थन करना।
कौन आवेदन कर सकता है	केवल उन कार्यक्रमों जो अनन्य तौर पर बी2बी हैं तथा जिनमें बी2बी के काफी घटक हैं, को इन दिशानिर्देशों के तहत विचार किए जाने के लिए उचित समझा जाएगा। कुछ में जी2जी घटक दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों के तहत समर्थित कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष निवेश के संवर्धन के साथ स्पष्ट संबंध होना चाहिए।
निधीयन का स्वरूप	विभाग द्वारा इन कार्यक्रमों पर कुल व्यय के 50%

	तक अथवा अधिकतम 40 लाख रू. तक, इनमें से जो भी कम होगा, की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
निधि जारी करने के लिए तंत्र	• संबंधित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन का मूल्यांकन करेगी तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। • सक्षम प्राधिकरण का 'सैद्धांतिक अनुमोदन'' उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमोदित वित्तीय सहायता अनुमानित मात्रा दर्शाते हुए आवेदक को सूचित किया जाएगा। • इस कार्यक्रम की समाप्ति पर आवेदक संगठन/संस्था एक फीडबैक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
क्या कोई दिशा निर्देश बनाए गए हैं	जी हां, ये दिशानिर्देश विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। http://dipp.nic.in/English/Schemes/investment.promotion.aspx

राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम)	
योजना का नाम	**राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम)**
प्रकार	केंद्रीय क्षेत्र योजना
प्रारंभ होने का वर्ष	यह योजना जनवरी, 2010 में अनुमोदित की गई थी।
उद्देश्य	आईपी अधिकारियों, आईपी व्यवसायिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना करना तथा आईपीआर नीति के लिए एक विचारक समूह के रूप में सामने आना।
मुख्य विशेषताएं	• आईपी अधिकारियों, आईपी व्यवसायिकों तथा हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। • आवासीय ब्लॉक का निर्माण। • कम्प्यूटरीकरण तथा लाइब्रेरी सुविधाएं प्रदान करना। • संकाय संदस्यों तथा स्टॉफ के अतिरिक्त पदों का सृजन। • अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना।
कार्यान्वयन एजेंसी	महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन तथा व्यापार चिन्ह का कार्यालय (सीजीपीडीटीएम)
निधीयन का स्वरूप	भारत सरकार द्वारा 100% निधीयन
निगरानी एवं समीक्षा	योजना कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए एक निगरानी समिति गठित की गई है।
क्या कोई दिशा निर्देश बनाए गए हैं	नहीं

व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक (बीएसपीआई) का विकास	
योजना का नाम	**व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक (बीएसपीआई) का विकास**
प्रकार	केंद्रीय क्षेत्र योजना
प्रारंभ होने का वर्ष	यह योजना स्कीम दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित की गई थी तथा 2007-08 से शुरू की गई थी।
कवरेज (व्याप्ति)	राष्ट्रीय
उद्देश्य	• सेवा क्षेत्र सूचकांक तैयार करना जिसका विलय तब डब्ल्यूपीआई के साथ किया जाएगा। वर्तमान में मुद्रास्फीति का आंकलन करने के लिए केवल डब्ल्यूपीआई ही एकमात्र मान्य संकेतक है जिसमें सेवा क्षेत्र शामिल नहीं है। इसके मद्देनजर डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति कारक/ अपस्फीतिकारक सभी क्षेत्रों के लिए सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था में उपयोग किया जाता है। • वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की सतत गुणवत्ता को सुनिश्चित करना जिसके लिए आंकडों के संग्रहण के लिए समर्पित मानवबल की तैनाती करके एनएसएसओ (एफओडी) के माध्यम से पहले से सृजित संस्थागत तन्त्र के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है।
मुख्य विशेषताएं	इस योजना के दो संघटक हैं: (क) व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक (बीएसपीआई) का विकास तथा (ख) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में सुधार। • वर्तमान में रेलवे, बैंकिंग, डाक तथा दूर संचार (सेल्यूलर) सहित चार सेवाओं के लिए सूचकांक एकत्रित किए जा रहे हैं और प्रायोगिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। वायु, सड़क, पत्तन, बीमा, व्यापार एवं व्यवसाय सहित छः अन्य सेवाओं पर कार्य प्रक्रियाधीन है। सेवा मूल्य सूचकांक का अंततः डब्ल्यूपीआई के साथ विलय किया जाना है। • यह योजना सतत प्रकृति की है क्योंकि सूचकांक नियमित आधार पर जारी किए जाते हैं।
कार्यान्वयन एजेंसी	यह परियोजना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय,

	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में कार्यान्वित की जाएगी।
निधीयन का स्वरूप	योजना स्कीम के लिए वित्त पोषण का स्रोत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है।
निधि जारी करने के लिए तंत्र	• उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर एनएसएसओ के लिए तिमाही/अध्ययन करने के लिए जिम्मेवार परामर्शदाताओं के लिए भुगतान रिपोर्ट के विभिन्न चरणों के पूरा होने के लिए पूर्व-निर्धारित अनुसूची बैंचमार्क के आधार पर किया जाता है।
निगरानी एवं समीक्षा	• योजना की निगरानी निष्पादन बजट, परिणामी बजट आदि की नियमित/सामान्य व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी। • निगरानी जोन-वार प्रतिक्रिया दर के माध्यम से भी की जाएगी जिसे निरंतर अंतरालों पर एनएसएसओ से एकत्रित किया जा सकता है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या मूल्य संबंधी आंकड़े सभी विनिर्दिष्ट कंपनियों से सही तरीके से एकत्रित किए गए हैं। यदि प्रतिक्रिया दर निरंतर गिरावट दर्शाती है, तो उसे उचित उपचारात्मक उपाय के लिए एनएसएसओ के साथ उठाया जा सकता है।
क्या कोई दिशा निर्देश बनाए गए हैं	नहीं

पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) का उन्नयन	
योजना का नाम	**पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) का उन्नयन**
प्रकार	वर्ष 2006-2007 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र योजना
प्रारंभ होने का वर्ष	यह योजना पर्यावरण अनुकूल आतिशबाजी के विकास तथा संगठन के अवसंरचना उन्नयन से संबंधित दो प्रमुख घटकों के साथ वर्ष 2006-2007 में शुरू की गई थी। पहले यह योजना 2000-2001 से प्रतिबंधित क्षेत्र के तहत चलाई गई थी।
कवरेज (व्याप्ति)	पीईएसओ मुख्यालय तथा पूरे देश में स्थित सभी सर्किल एवं उप-सर्किल कार्यलय इस योजना के तहत शामिल हैं।
उद्देश्य	पीईएसओ औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय और देश में विस्फोटक क्षेत्र से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के कार्यान्वयन के लिए विनियामक निकाय है। यह योजना पीईएसओ की अवसंरचना एवं सुविधाओं को उन्नत करने के लिए एक अंतर-विभागीय परियोजना है।
मुख्य विशेषताएं	• शिवकाशी में आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केंद्र (एफआरडीसी) की स्थापना करना एवं प्रचालन करना। • माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व निदेशों के अनुसार कम आवाज वाली पर्यावरण अनुकूल आतिशबाजी का विकास। • विस्फोटक क्षेत्र से संबंधित संपर्कता एवं आंकड़ा प्रबंधन में सुधार के लिए उपस्करों की खरीद करना एवं उनको संस्थापित करना। • पीईएसओ मुख्यालय तथा सर्किल एवं उप-सर्किल कार्यालयों के बीच संचार अवसंरचना में सुधार करना। • विनिर्माण से उपयोग तक विस्फोटकों का पता

	लगाने एवं अनुरेखण के लिए परियोजना दस्तावेज का विकास।
कार्यान्वयन एजेंसी	पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)
निधीयन का स्वरूप	भारत सरकार द्वारा 100% निधीयन
निगरानी करने वाला तंत्र	निधि पीईएसओ के आबंटित योजना बजट के माध्यम से जारी की जाती है।
निगरानी एवं समीक्षा	योजना की निगरानी पीईएसओ द्वारा की जाती है और समय-समय पर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है।
क्या कोई दिशा निर्देश बनाए गए हैं	जी, नहीं।

नमक कामगारों के लिए योजना	
योजना का नाम	**नमक कामगारों के लिए योजना**
प्रकार	केन्द्रीय क्षेत्र योजना
प्रारंभ होने का वर्ष	2013-14
कवरेज (व्याप्ति)	सभी नमक उत्पादक राज्य इस योजना के तहत शामिल हैं।
उद्देश्य	नमक कामगारों की मानक स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पहुंच में सुधार करना; तथा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए औद्योगिक तथा खाद्य नमक के सख्त मानकों को पूरा करने के लिए नमक की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नमक कामगारों एवं कारीगरों को शिक्षित करना।
मुख्य विशेषताएं	इनमें निम्नलिखित घटक हैं: **नमक मजदूर स्वास्थ्य बीमा योजना (एनएमएसबीवाई):** योजना के इस संघटक का उद्देश्य देश में मानक स्वास्थ्य सुविधाओं तथा नमक कामगारों की पहुंच में सुधार करना है। योजना के इस संघटक के तौर-तरीकों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। **प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रशिक्षण**:- इस योजना के दूसरे संघटक का उद्देश्य घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए औद्योगिक तथा खाद्य नमक के सख्त मानकों को पूरा करने के लिए नमक की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नमक कामगारों एवं कारीगरों को शिक्षित करना। इसमें 200 प्रशिक्षण प्रदान करना नियत है, प्रत्येक प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 15 नमक

	कामगार/कारीगर शमिल होंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की लागत 1.5 लाख रुपए होगी तथा पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। मार्च, 2014 में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
कौन आवेदन कर सकता है	**प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रशिक्षण**: सभी नमक कामगार तथा कारीगरों का चयन उद्योग से किया जाता है। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां नमक की गुणवत्ता निम्न है और उत्पादकता कम है।
कार्यान्वयन एजेंसी	नमक आयुक्त का संगठन, डीआईपीपी
निधीयन का स्वरूप	प्रौद्योगिकी उन्नयन के मामले में भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित।
निधि जारी करने वाला तंत्र	नमक आयुक्त का संगठन, डीआईपीपी, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रशिक्षण के मामले में।
निगरानी एवं समीक्षा	संयुक्त सचिव, डीआईपीपी, नमक प्रभारी की अध्यक्षता में केन्द्र स्तरीय समिति (सीएलसी)
क्या कोई दिशा निर्देश बनाए गए हैं	योजना के दिशानिर्देश www.dipp.nic.in > नीतियां तथा योजनाएं> नमक कामगारों के लिए योजना पर उपलब्ध है।

स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	
योजना का नाम	**स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता**
प्रकार	केन्द्रीय स्तर योजना
प्रारंभ होने का वर्ष	स्वायत्त संस्थानों की स्थापना से
कवरेज (व्याप्ति)	इस योजना के तहत स्वायत्त संस्थानों जैसे कि भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई), केन्द्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान (सीपीपीआरआई), राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम), केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) को परियोजना आधारित सहायता दी गई है।
उद्देश्य	स्वायत्त निकायों को सुदृढ़ करना ताकि वे देश की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर सकें।
मुख्य विशेषताएं	ये स्वायत्त संस्थान निम्नलिखित कार्यों में कार्यरत हैं: • प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम, गुणवत्ता निर्वाचिका सभाएं तथा संगोष्ठियां; • डिजाइन विकास, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, प्रशिक्षण, डिजाइन परामर्शी सेवाएं तथा बाहरी सेवाऐं; • उत्पादकता मापन एवं उत्पादकता विकास तथा ऊर्जा दक्षता उपाय; • उद्योग विशिष्ट सहायता सेवाएं।

कार्यान्वयन एजेंसी	स्वायत्त निकाय कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
निधीयन का स्वरूप	सहायता अनुदान
निधि जारी करने के लिए तंत्र	निधि उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित प्रपत्रों को पूरा करने पर जारी होगी।
निगरानी एवं प्रक्रिया	अनुमोदित सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वायत्त संस्थानों को सहायता अनुदान दिया जाता है और मंत्रालय द्वारा समय-समय पर प्रगति की समीक्षा की जाती है।
क्या कोई दिशा निर्देश बनाए गए हैं	नहीं

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एन एम पी) के कार्यान्वयन के लिए योजना	
योजना का नाम	**राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन के लिए योजना। इस योजना तीन संघटक हैं** (i) **राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोन की मास्टर प्लानिंग के लिए योजना (एनआईएमजेड**); (ii) **प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास निधि (टीएडीएफ) योजना**; **और** (iii) **एनआईएमजेड में रोजगार हानि नीति/ऋण शोधन निधि।**
प्रकार	नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना
प्रारंभ होने का वर्ष	दिनांक 4 नवम्बर, 2011 के प्रेस नोट द्वारा अधिसूचित
उद्देश्य	एक दशक अथवा इसकी लगभग अवधि में जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को 25% तक बढ़ाना तथा 100 मिलियन रोजगार सृजित करना। इसमें ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कौशल ढांचा प्रदान करके समर्थ बनाने की भी अपेक्षा की गई है ताकि उनकों रोजगार योग्य बनाया जा सके। सतत विकास इस नीति का एक अभिन्न भाग और विनिर्माण में प्रौद्योगिकीय मूल्य वर्द्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
कवरेज (व्याप्ति)	राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) और उसमें स्थित इकाइयां; प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास निधि (टीएडीएफ) के तहत नीति में दिए गए अनुसार छूट प्राप्त करने के लिए पात्र एनआईएमजेड में अथवा इसके बाहर के एनआईएमजेड और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित अनुसार क्लस्टरों के तहत विनिर्माण इकाइयां।

मुख्य विशेषताएं	राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड); व्यवसाय विनियमों का युक्तिकरण एवं सरलीकरण; विनिर्माण इकाइयों के लिए सरल एवं त्वरित बहिर्गमन तंत्र; एसएमईएस के लिए प्रोत्साहन; औद्योगिक प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन उपाय; हरित प्रौद्योगिकी सहित प्रौद्योगिकी विकास के लिए वित्तीय एवं संस्थागत तंत्र और विनिर्माण एवं मूल्य वर्द्धन को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी खरीद का इस्तेमाल।
कार्यान्वयन एजेंसी	जोनों की मास्टर प्लानिंग के संबंध में एनआईएमजेड के विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) विभिन्न एजेंसियों/ठेकेदारों के माध्यम से स्वयं विकास कार्य को शुरू करेंगे अथवा एक डेवलपर, जिसका चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, के साथ भागीदारी में विकास शुरू करेगा। • रोजगार हानि नीति/ऋण शोधन नीधि के संबंध में एनआईएमजेड का एसपीवी योजना को कार्यान्वित करेगा। • टीएडीएफ के संबंध में कार्यान्वयन वैश्विक नवीकरण एवं प्रौद्योगिकी गठबंधन के माध्यम से किया जाएगा।
निधीयन का स्वरूप	भारत सरकार द्वारा 100 % निधीयन
निधि जारी करने के लिए तंत्र	• मास्टर प्लानिंग - संबंधित एनआईएमजेड के संबंधित एसपीवी को सीधे • टीएडीएफ – हरित विनिर्माण समिति (जीएमएसी) द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों पर निर्भर करते हुए जीआईटीए (वैश्विक नवीकरण एवं प्रौद्योगिकी गठबंधन) के माध्यम से • रोजगार हानि नीति/ऋण शोधन नीधि – संबंधित एनआईएमजेड के एसपीवी के माध्यम से

निगरानी एवं समीक्षा	सरकार ने 1 जून, 2012 को विनिर्माण उद्योग संवर्धन बोर्ड (एमआईपीबी) तथा हरित विनिर्माण समिति (जीएमएसी) को अधिसूचित किया तथा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के लिए उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के पुनर्गठन को, अनुमोदन बोर्ड को उसमें शामिल करते हुए, 1 जून 2013 को अधिसूचित किया। ये अधिसूचनाएं विभाग की वेबसाइट www.dipp.nic.in > नीति तथा योजनाएं पर डाली गई है।
क्या कोई दिशा निर्देश बनाए गए हैं	• एनआईएमजेड की स्थापना के लिए दिशानिर्देश; एनआईएमजेड के सैद्धांतिक तथा अंतिम अनुमोदन के लिए प्रपत्र तैयार किए गए हैं और सभी राज्य सरकारों को परिचालित किए गए हैं। • एन एम पी के तहत छूट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली क्लस्टर की परिभाषा तैयार की गई है और सभी राज्य सरकारों को परिचालित की गई है। • एन एम पी के तहत एनआईएमजेड के बाहर के क्लस्टर के लिए दिशानिर्देश तथा छूट तैयार की गई है और सभी राज्य सरकारों को परिचालित की गई है। ये अधिसूचनाएं विभाग की वेबसाइट www.dipp.nic.in > नीति तथा योजनाएं पर डाली गई हैं।

औद्योगिक सांख्यिकी के सदृढ़ीकरण के लिए योजना (आईएसयू) (एनएमपी के कार्यान्वयन के लिए योजना का एक संघटक)	
योजना का नाम	**औद्योगिक सांख्यिकी के सदृढ़ीकरण के लिए योजना**
प्रकार	नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना संघटक (उप योजना)
प्रारंभ होने का वर्ष	2013-14 में अनुमोदित
उद्देश्य	मजबूत सांख्यिकीय आंकडा आधार बनाए रखना
मुख्य विशेषताएं	(i) औद्योगिक सांख्यिकी का सुदृढ़ीकरण विनिर्माण उत्पादन बढ़ाने, जो कि 12वीं योजना की एक प्राथमिकता है, के लिए शुरू की गई नीतियों तथा खास तौर पर राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 के परिणामों की वैधता के लिए एक मुख्य साधन है। (ii) औद्योगिक इकाइयों द्वारा सीधे आंकडा को सुकर बनाने तथा आंकडा विश्लेषण सॉफ्टवेयर द्वारा उन्नत वैधता जांच के साथ उत्पादन निगरानी प्रणाली (पीएमएस) का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उप-योजना में क्षमता निर्माण तथा मजबूत प्रणाली के साथ जुड़े संबंधित सुलभ कौशल की भी व्यवस्था है।
कार्यान्वयन एजेंसी	डीआईपीपी
निधीयन का स्वरूप	उक्त योजना के लिए आवंटित योजना बजट के माध्यम से निधीयन
निगरानी एवं समीक्षा	सरकार अनुमोदित तंत्र के माध्यम से
क्या कोई दिशा निर्देश बनाए गए हैं	प्रासंगिक नहीं

बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना	
योजना का नाम	**बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना**
प्रकार	नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना
प्रारंभ होने का वर्ष	यह योजना नवंबर, 2013 में अनुमोदित की गई थी।
कवरेज (व्याप्ति)	आईपीएबी चेन्नई में स्थित है और सम्पूर्ण भारत को कवर करता है। आईपीएबी ने नियमित अन्तराल पर दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं मुंबई में दौरा बैठकें भी आयोजित की हैं।
उद्देश्य	आईपीएबी को सुदृढ करने की योजना का उद्देश्य देश में जीवंत बौद्धिक संपदा व्यवस्था विकसित करने की उद्देश्य से आईपीएबी की क्षमता का विस्तार करना है। इसका उद्देश्य सांविधिक बोर्ड के लिए आधुनिक अवसंरचना विकसित करना तथा इसके मानव संसाधन में वृद्धि की कोशिश करना है। योजना का उद्देश्य चेन्नई में आईपीएबी के लिए स्थायी स्थान प्रदान करना, आईटी सुविधाओं का कम्प्यूटरीकरण एवं उन्नयन, अंतरराष्ट्रीय कानूनी पत्रिकाओं तथा डेटाबेस तक पहुंच आसान बनाना तथा आईपीएबी में आधुनिकीकृत वातावरण के लिए पुस्तकालय सुविधाओं, फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण में सुधार करना है।
मुख्य विशेषताएं	योजना के मुख्य लक्ष्य भूमि अधिग्रहण, निर्माण एवं भवन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होंगे।
कार्यान्वयन एजेंसी	बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी)
निधीयन का स्वरूप	100% निधीयन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
निगरानी करने वाला तंत्र	आईपीएबी को निधि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

	की अनुदान मांगों में योजना के तहत संगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।
निगरानी एवं समीक्षा	आईपीएबी एक तिमाही में कम से कम एक बार परियोजना की प्रगति की निगरानी करेगा।
क्या कोई दिशा निर्देश बनाए गए हैं	लागू नहीं

अमृतसर - कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (एकेआईसी) के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना	
योजना का नाम	**अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (एकेआईसी) के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना**
प्रकार	नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना
प्रारंभ होने का वर्ष	अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर की स्थापना के लिए जनवरी, 2014 में सिद्धांतत: अनुमोदन दिया गया।
कवरेज (व्याप्ति)	एकेआईसी का विस्तार सात राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में होगा।
उद्देश्य	क्षेत्र की वर्तमान आर्थिक तथा रोजगार संभावना को इष्टतम बनाना, निवेशों को प्रोत्साहन देना विशेषकर विनिर्माण, सेवा एवं निर्यातोन्मुखी इकाइयों में और उच्च मानक अवसंरचना के सृजन तथा व्यवसाय अनुकूल वातावरण को समर्थ बनाकर क्षेत्र के सम्पूर्ण आर्थिक विकास का संवर्धन करना।
मुख्य विशेषताएं	• सरकार ने नीचे दिए गए दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए एकेआईसी और एकेआईसी विकास निगम की स्थापना के लिए "सिद्धान्तत:" अनुमोदन दे दिया दिया है। कार्यान्वयन के लिए तौर तरीकों तथा संसाधनों पर विचार किया जा रहा है। • एकेआईसी को इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के साथ मिलाया जाएगा। • इसमें इस मार्ग पर मौजूदा राजमार्ग प्रणाली और राष्ट्रीय जलमार्ग -1 के साथ विकसित किया जा रही अंतर्देशीय जल प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। • एकेआईसी का प्रभावित क्षेत्र ईडीएफसी के दोनों तरफ 150-200 किलोमीटर तक विस्तार होगा। • परियोजना को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा तथा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। • प्रत्येक राज्य 10 कि.मी. के न्यूनतम क्षेत्र का कम

	से कम एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) संवर्धित करेगा। उत्तराखंड को छोड़कर, जहां आकार में लचीलापन प्रदान किया गया है, जिसका 40 प्रतिशत क्षेत्र कृषि विनिर्माण एवं प्रसंस्करण क्रियाकलाप के लिए निर्धारित किया जाएगा।
क्या कोई दिशा निर्देश बनाए गए हैं	-------